तारीख अह
जो इस हुक्म की त
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट डाबरी)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस

मुकदमा नं0 3/ 18 /16

निर्णय दिनांक : 09.06.2016

उनवान

1. चन्दूराम पुत्र कालूराम ओड निवासी मेघाबास तहसील रामगढ जिला अलवर।

............................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगढ।

............अप्रार्थी

(अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट)

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी की आराजी खाता सं0 38 हाल आराजी खसरा नम्बर 64 / 667 रकबा 0.01, 65 रकबा 0.78, 267 रकबा 0.03, 268 रकबा 0.14 हैक्ट0 वाके ग्राम मेघाबास तहसील रामगढ जिला अलवर में हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ढालूराम को कलमजन कर उसके स्थान पर कालूराम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत डाबरी में दिनांक 09.06..2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि मुताबिक नामान्तकरण सं0 291 / 292 प्रार्थी के पिता का सही नाम कालूराम है। सहबन से ढालूराम दर्ज रिकार्ड चला आ रहा है। लिहाजा ढालूराम के स्थान पर कालूराम दुरूस्त किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि आराजी खाता सं0 38 हाल आराजी खसरा नम्बर 64 / 667 रकबा 0.01, 65 रकबा 0.78, 267 रकबा 0.03, 268 रकबा 0.14 हैक्ट0 वाके ग्राम मेघाबास तहसील रामगढ जिला अलवर के हाल राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ढालूराम को कलमजन कर उसके स्थान पर कालूराम दर्ज करने की कार्यवाही नियमानुसार करे। तहसीलदार रामगढ को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत डाबरी में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)